such banks in the hills of Uttar Pradesh where a large number of pensioners particularly ex-pervicemen live; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (d) The aim of the Branch Lincensing Policy 1985—90 was to achieve a population converage of 17,000 (as per 1981 census) per branch office in rural/ semi-urban areas of each block in the country as also to eliminate wide spatial gaps in the availability of banking facilities so that a bank branch was available generally within a distance of 10 kms. Considering the peculiar features in hilly/tribal areas and sparsely populated regions, the population crieterion was relaxed to 10,000 per branch office to ensure that branch expansion in such areas did not lag behind. It was decided in September, 1990 by Reserve Bank of India (RBI) for branch expansion for the period 1990—95 that there was no need for evolving any branch expansion programme as such for any specific period with targets like population coverage per bank office as was being done in the past. However, it was felt that there may still be need for a moderate number of additional bank branches in rural areas for more effective administration of the Scheme of Service Area Approach and/or catering to increase in business of some of the existing rural branches. It was also reckoned that additional bank branches may have to be opened in hilly tribal areas in sparsely populated regions including Uttar Pradesh to cater to the banking needs of such areas. In the light of the above reasonings, it was proposed to leave it to the judgement of the individual banks to assess the need on the above basis for additional branches in the respective service areas of their rural branches. Accordingly, banks were advised to make an exercise and submit applications for opening additional branches. While doing so, the banks were advised to give due weightage to the special needs of hilly/tribal areas. The proposals of the banks which conform to the above norms and which are recommended by the concerned State Governments are considered by RBI on merits of each case.

हरियाणा में पर्यटन के विकास के लिए धनराशि प्रदान करने हेतु मानदंड

2016. **श्री रामजी लाल:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान हरियाणा को पर्यटन के विकास के लिए प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार का इस क्षेत्र के लिए क्या मानदंड है और क्या सरकार हरियाणा के ऐतिहासिक स्थलों को ध्यान में रखते हुए राज्य को और अधिक धनराशि प्रदान करेगी; और

(ग) सरकार द्वारा हरियाणा सरकार को किस-किस ऐतिहासिक स्थल के विकास हेतु कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की गयी है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) हरियाणा राज्य में पर्यटन का विकास करने के लिए वर्ष 1992-93 में 105.99 लाख रुपए, 1993-94 में 223.21 लाख रुपए और 1994-95 में 188.96 लाख रुपए की राशि की केन्द्रीय वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत दिशानिर्देशों, जिन्हें विभिन्न स्कीमों के लिए तैयार किया गया है, के आधार पर आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। राज्य सरकार को दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव भेजना होता है। वित्तीय सहायता प्रस्ताव के गुण-दोष, पारस्परिक प्राथमिकताओं और धन की उपलब्धता के आधार पर रिलीज की जाती है। हरियाणा सहित राज्य सरकारों से प्राप्त सभी पूर्ण प्रस्तावों को इन्हीं दिशानिर्देशों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(ग) हरियाणा राज्य सरकार को वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान दी गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिए)

पानीपत, कुरुक्षेत्र, सूरजकुंड, पिंजौर आदि जैसे ऐतिहासिक स्थलों में विभिन्न सुविधाओं के विकास के लिए सहायता प्रदान की गई है।

विवरण

1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं/स्कीमें

क्रम सं०	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)
	हरियाणा	
1.	वार मेमोरियल, काला-अम्ब, पानीपत में बजटीय आवास का निर्माण	6.17
2.	स्काईलार्क टूरिस्ट काम्पलेक्स, पानीपत में फास्ट फूड सेन्टर	3.60
3.	पानीपत में 4 कमरे और हाल का निर्माण	21.64
4.	सुरखाब, सिरसा में पर्यटक परिसर का निर्माण	23.87
5.	सूरजकुण्ड में पर्यटक स्वागत केन्द्र	23.69
6.	पिंजौर के लिए पैरा सेलिंग और पैरा ग्लाइडिंग उपकरण	7.00
7.	सूरजकुण्ड क्राफ्ट मेला	15.00
8.	कुरूक्षेत्र उत्सव	4.00
9.	हरियाणा पर्यटन पर फिल्म	1.00
	जोड़:	105.97
	1993-94	
1.	मल्लाह में पर्यटक परिसर	25.97
2.	टोहाना में पर्यटक परिसर	24.78
3.	हथिनीकुण्ड में पर्यटक परिसर	26.46
4.	मंशा देवी में यात्रिका	23.73
5.	पेहवा में यात्रिका	23.73
6.	जीन्द में पर्यटक परिसर	24.80
7.	पिंजौर में बजटीय आवास	11.28
8.	डबवाली में पर्यटक परिसर	26.46
9.	दम दमा झील के लिए हॉवर क्राफ्ट	12.44
10.	प्रचार सहायता	5.00
11.	कुरुक्षेत्र उत्सव	3.58
12.	सूरजकुण्ड क्राफ्ट मेला	14.96
	जोड़:	223.21
	1994-95	
1.	मोरनी (जिला अम्बाला) में पर्यटक परिसर	22.45
2.	पिपली में फास्ट फूड सेन्टर	14.20
3.	राई में पर्यटक स्वागत केन्द्र	28.75
4.	तिलियार में फास्ट फूड सेन्टर	17.81
5.	हांसी में पर्यटक परिसर	24.78
6.	टिक्कर ताल में पर्यटक परिसर	24.78
7.	हिसार में पर्यटक स्वागत केन्द्र	22.52
8.	ओटू में पर्यटक गृह	18.69
9.	सूरजकुण्ड क्राफ्ट मेला 1994	14.98
	जोड़:	188.96